दिनांक	आज्ञा-पत्र
31-10-19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। अपील अपीलांट्स अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण नं. 542 दिनांकित 6.1.2007 ग्राम रुहेट छोटी तहसील धोद जिला सीकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील/48/2015

1. छोटी देवी पत्नि भगवाना राम उम्र 60 वर्ष
2. रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम उम्र 30 वर्ष
3. बलबीर पुत्र भगवानाराम उम्र 28 वर्ष
   समस्त जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भागीरथ पुत्र भगवाना राम उम्र 35 वर्ष
2. मन्जू पत्नि भागीरथ उम्र 32 वर्ष
   समस्त जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
3. मंजू पत्नि हरलाल पुत्री भगवाना राम उम्र 36 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम घिरणियां बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
4. सुमन पत्नि केशरदेव पुत्री भगवाना राम उम्र 24 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम घिरणियां बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5. तहसीलदार, धोद

–रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण सं0 542 दिनांकित 06.01.2007 ग्राम पंचायत सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

उपस्थिति–
श्री दीनानाथ शर्मा, वकील अपीलांट्स की ओर से
श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी, वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 3 की ओर से
श्री महेश कुमार जांगिड़, वकील रेस्पोंडेंट्स सं. 2 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 31-10-19

वकील अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नं0 587 वर्तमान खसरा न.0 946/587, 947/587 रकबा 1.88 है0 वाके ग्राम सिहोट छोटी पटवार हल्का सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है उक्त आराजी अपीलाण्टस के पिता स्व0 भगवानाराम के धन से अर्जित, कब्जे काश्त हक अधिकार की आराजी होने से अपीलाण्टस की पैतृक है जो राजस्व रेकार्ड में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट सं0 1 के नाम से दर्ज थी उक्त आराजी में अपीलाण्ट सं0 1 ता 3 तथा रेस्पो0 सं0 3 ता 4 का हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत समान रूप से अधिकार है। स्व0 भगवाना राम की मृत्यु के पश्चात रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलाण्ट सं0 1 का उक्त कृषि आराजी में राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अपीलाण्ट सं0 2 व 3 तथा रेस्पो0 सं0 3 व 4 को उनके पैतृक अधिकार से वंचित करने की कुमंशा से अपीलाण्ट सं0 1 को अन्यथा अपने प्रभाव में लेकर दिनांक 14.12.2006 को एक नुमायशी विक्रय पत्र बिना किसी प्रतिफल अदा किये निष्पादित करवा लिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर गलत रूप से नामान्तकरण सं0 542 दिनांकित 06.01.2007 ग्राम पचायंत व हल्का पटवारी से तस्दीक करने से अपीलाण्टस द्वारा अपील निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है– यह आदेश विरूद्व पत्रावली विरूद्व कानून व विरूद्व तथ्य होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्टस व रेस्पो0 सं0 3 व 4 भगवाना राम के वैध वारिस होने से स्व0 भगवाना राम के धन से अर्जित कब्जे काश्त की आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनूरूप समान हक अधिकार रखने के कारण केवल मात्र एक नुमायशी विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया है वह निरस्त होने योग्य है। नामान्तकरण भरने से पूर्व नामान्तकरण सम्बन्धी नियमों की पालना में कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नही करके कानून की शर्तो का उल्लघंन करते हुए जो अपीलाधीन नामान्तरण भरा गया है वह निरस्त होने योग्य है। सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है। रेस्पो0 सं0 1 को बचपन में ही अपीलाण्ट सं0 1 व देहान्त से पूर्व भगवानाराम ने अपने परिवार मे श्यामाराम जाति जाट निवासी सिहोट को गोद देकर सन 1984 में रजि0 गोदनामा निप्पादित करवा दिया था परन्तु रेस्पो0 सं0 1 लालची आवारा व बेईमान किस्म का व्यक्ति होने के कारण भगवानाराम, जो कि विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी करता था, की मृत्यु पश्चात दत्तक पुत्र श्यामाराम होने के बावजूद भी अपीलाण्टस आदि को अपने अन्यथा प्रभाव में लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने जायन्दा पिता स्व0 भगवानाराम के स्थान पर अधिमानता पर नौकरी प्राप्त कर ली तथा दुसरी तरफ दत्तक पिता श्यामाराम की सम्पूर्ण सम्पदा विरासतन अपने नाम करवा ली। तत्समय परिवार में काफी तनाजा व लड़ाई झगड़ा होने के बाद मौखिक रूप से एक समझौता हुआ तब रेस्पों0 सं0 1 ने एक लिखावट दिनांक 14.12.2006 को की ओर यह आश्वासन दिया गया कि उक्त जमीन को जब तक मेरी माता छोटी देवी जीवित रहेगी तब तक छोटी देवी काश्त करेगी तथा जो विक्रय पत्र निप्पादित हुआ वह बिना प्रतिफल के हुआ है तथा रूपये का कोई लेनदेन नही हुआ है। उक्त लिखावट के बावजूद भी अपीलाण्ट को धोखें में रखकर तथा पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत से साजिश कर नुमायशी विक्रय पत्र के आधार पर बाला बाला अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया तथा एक वर्ष पश्चात बैंक से ऋण ले लिया। जब उक्त ऋण रेस्पां0 सं0 1 द्वारा नहीं चुकता हुआ तब बैंक द्वारा ऋण की बकाया पेटे उक्त जमीन की कुर्की निकाली गई जिसकी सूचना राजस्थान पत्रिका अखबार में दिनांक 11.06.2015 को प्रकाशित हुई तब अपीलाण्ट को रेस्पो0 सं0 1 की बेईमानी व चालाकी की जानकारी होने पर उसे उलाहना दिया गया तथा उक्त ऋण को चुकाने के लिए कहा गया जिस पर रेस्पो सं0 1 ने उक्त ऋण को चुकाने से मना कर दिया। तब अपीलाण्टस व अन्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

रिश्तेदारों ने बैंक में सम्पर्क कर रेस्पो0 द्वारा उक्त आराजी पर लिये गये ऋण रू0 1,58,000 तुरन्त प्रभाव से चुकता कर भूमि की कुर्की होने से बचाया। इस प्रकार अपीलाण्टस को दिनांक 11.06.2015 को प्रथम बार उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुई एवं रेस्पो0 को अपीलाण्टस द्वारा काफी समझाया बुझाया गया ओर कहा गया कि उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवा दो लेकिन रेस्पों0 सं0 1 द्वारा नही मानने पर तथा दीगर व्यक्तियों को बेचने की धमकी देने पर अपीलाण्ट सं0 2 ने दिनांक 07.07.2015 को उक्त आराजी से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी नामान्तकरण की प्रतियां प्राप्त कर अन्दर मियाद आज अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। यद्यपि जानकारी की तिथि से नामान्तकरण के विरूद्व अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी धारा 5 मियाद अधि0 का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः अपीलाण्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं0 542 दिनांकित 06.01.2007 ग्राम पंचायत सिहोट छोटी को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी उपस्थित हुए, लेकिन जवाब पेश नहीं किया। रेस्पोंडेंट्स सं. 2 की ओर से अभिभाषक श्री महेश कुमार जांगिड़ उपस्थित हुए, लेकिन जवाब पेश नहीं किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा बहस के दौरान कथन किया कि बेचान का नामान्तरकरण है। जमीन छोटी देवी के नाम पर थी, छौटी देवी ने भागीरथ को बेचान किया, भागीरथ छोटीदेवी का पुत्र है। भागीरथ गोद चला गया था। हकत्याग में यह उल्लेख है कि भागीरथ ने स्वीकार किया है कि मैं रजिस्ट्री वापस करा दूंगा। रजिस्ट्री निरस्तीकरण का दावा सिविल न्यायालय में लंबित है। रजिस्ट्री छल–कपट से कराई गई। इसके विपरीत वकील रेस्पोंडेंट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि छोटीदेवी ने जरिये रजिस्ट्री जमीन टीकू से खरीदी। जिसका नामान्तरकरण सं. 7 है। छोटी देवी ने अपने पुत्र भागीरथ को बेच दी। जिसका नामान्तरकरण चुनौतीग्रस्त है। भागीरथ ने पत्नी मंजु को बेचान कर दिया। जिसका नामान्तरकरण सं. 1084 है। रजिस्ट्री निरस्त का दावा व टी.आई. सिविल कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन सिविल कोर्ट ने 19.7.2017 को टी.आई. खारिज कर दी। सभी स्थानान्तरण जरिये रजिस्ट्री है तथा उनके अनुसार ही नामान्तरकरण हुये है। छौटी देवी का उद्घोषणा का दावा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। रजिस्ट्री का निरस्त का दावा भी छोटी के पुत्र ने कर रखा है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2061 से 64 में खसरा नम्बर 587 रकबा 1.88 है0 की खातेदारी श्रीमती छोटी पत्नि भगवानाराम जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज है, जमाबंदी में नामा0 सं. 542 बेचान 6.1.2007 से सम्पूर्ण खाता भागीरथसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट सा.देह के नाम स्वीकार हुआ है। नामा0 संख्या 542 के अनुसार खसरा नम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

587 रकबा 1.88 है0 की खातेदारी श्रीमति छोटी पत्नि भगवानाराम जाति जाट के नाम दर्ज थी, छोटी ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र भागीरथ सिंह पुत्र भगवानाराम को विक्रय कर दी। अपीलाण्ट्स ने अपील पर ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विवादग्रस्त भूमि पैतृक साबित हो। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी भूमि को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र बेचान किया गया है, जिसका की उसको कानूनन अधिकार प्राप्त है। ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 सं0 542 स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नामा0 संख्या 542 दिनांक 6.1.07 ग्राम पंचायत सिहोट छोटी द्वारा नियमानुसार एवं कानूनन अपने अधिकार क्षैत्र में होने के कारण सही तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 तस्दीक करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया का उल्लघंन नहीं किया गया है।

अतः अपील अीलाण्ट्स अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 542 दिनांकित 6.1.2007 ग्राम पंचायत सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 31-10-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद, सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.14 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: